यूपीडा

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

0522–2307542 / 2307592 / 4004523, फैक्सः 0522–4013560,

इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 2434 **/यूपीडा/619** **दिनांक** 30 **अक्टूबर , 2017**

सेवा मे,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बाराबंकी।

विषयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त हुयी आपत्तियों का निराकरण।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1467 / 14–4–4 दिनांक, 16.10.2017।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव (हार्डकापी) के सम्बन्ध में आप द्वारा उठायी गयी कमियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/अभिलेख निम्न प्रकार है–

1	प्रस्तावित वनभूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	मैप की के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 में संलग्न है।
2	प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संरेखण में विभिन्न जिलो की 8.4165 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है जिसका दुगना लगभग 17.0 हे0 है। इस प्रकार संरक्षित वन भूमि के दुगने 17.0 हे0 अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग से प्राप्त हो गया है। अमेठी वन प्रभाग के कादूनाला वन ब्लाक में 9.0 हे0 तथा पाली वन ब्लाक में 8.0 हे0 का क्षेत्र, इस प्रकार कुल 17.0 हे0, संरक्षित वन भूमि के बदले दुगने अवनत वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की सी0डी0 संलग्न कर भेजी जा रही है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map एवं के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा का Undertaking फॉरेस्ट प्रपोजल फाइल में संलग्न करके आपको पॉच प्रतियों में भेजा गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा Undertaking फॉरेस्ट प्रपोजल फाइल में संलग्न करके आपको पॉच प्रतियों में भेजा गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है। संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा Undertaking फॉरेस्ट प्रपोजल फाइल में संलग्न करके आपको पॉच प्रतियों में भेजा गया है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
6	भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	भू–स्वामित्व वाले विभाग की एन0ओ0सी0 स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा Undertaking फॉरेस्ट प्रपोजल फाइल में संलग्न करके आपको पॉच प्रतियों में भेजा गया है।
7	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) एवं संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी की धनराशि भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	यह आपके कार्यालय द्वारा ही अपेक्षित है।
8	वन अधिकार अधिनियम –2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु मूल में संलग्न नहीं किया गया है।	यह आपके कार्यालय द्वारा ही अपेक्षित है।
9	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	यह आपके कार्यालय द्वारा ही अपेक्षित है।
10	ऑनलाइन भाग–2 में जिले का भैगोलिक क्षेत्रफल डाटा त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।	कृपया अपने स्तर से जिले के जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार संशोधित कर परियोजना की तीन प्रतियां जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 से प्राप्त की गयी थी, उनमें तदानुसार संशोधन कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
अधिकृत अधिकारी, भूमि हस्तांतरण

पत्रांक /यूपीडा/619 दिनांक अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष कार्याधिकारी (वन), यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरयू वृत्त फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
अधिकृत अधिकारी, भूमि हस्तांतरण